International Journal of Home Science 2018; 4(2): 302-304

International Journal of Home Science

ISSN: 2395-7476
IJHS 2018; 4(2): 302-304
© 2018 IJHS
www.homesciencejournal.com
Received: 22-03-2018
Accepted: 25-04-2018

डॉ. प्रतिभा पाल
असिस्टेंट प्रोफेसर, गृहसिज्ञान,
गाांधी शताब्दी स्मारक,
स्नातकोत्तर महासिद्यालय,
कोयलसा, आजमगढ, उत्तर
प्रदेश, भारत

Correspondence
डॉ. प्रतिभा पाल
असिस्टेंट प्रोफेसर, गृहसिज्ञान,
गाांधी शताब्दी स्मारक,
स्नातकोत्तर महासिद्यालय,
कोयलसा, आजमगढ, उत्तर
प्रदेश, भारत

ग्रामीण परिवेश के मजदूरों के जीवन में मनरेगा की प्रासंगिकता

डॉ. प्रतिभा पाल

सारांश
प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की पृष्ठभूमि का अध्ययन करना है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों की जीवन शैली में आए परिवर्तन अथवा मनरेगा द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की व्याख्या करना है। यह अध्ययन मनरेगा के सर्वाधिक सफल प्रयासों के रूप में महिला सशक्तिकरण तथा मजदूरों के पलायन जैसी समस्याओं पर नियंत्रण स्थापित करने की भी समीक्षा करता है।

मूल शब्द: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा , पलायन, बंधुआ मजदूरी

प्रस्तावना
भारत की लगभग 70 फ़ीसदी जनसंख्या गांवों में निवास करती है । ग्रामीण विकास की समस्याओं को हल किए बिना भारत के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। देश की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा वर्ग मजदूरी अथवा श्रमदान करने वाले नागरिकों का है इन्हें भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। कार्य की तलाश में इस मजदूर वर्ग का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके गर्त में निर्धनता, बेरोजगारी, महंगाई और अशिक्षा जैसे महत्वपूर्ण आधार सम्मिलित हैं भारतीय इतिहास में मजदूरों का प्रारंभ से ही शोषक वर्गो द्वारा शोषण होता आया है। अत्यधिक श्रम बल के बावजूद न्यून मजदूरी शोषित वर्ग द्वारा पलायन तथा बंधुआ मजदूरी जैसे गंभीर कदम उठाने हेतु मजबूर होना पड़ता है।
भारतीय ग्रामीण परिवेश की इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय संसद द्वारा 7 सितंबर 2005 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम लागू कर दिया गया। जिसके अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में एक अकुशल श्रमिक को 100 दिन का रोजगार गारंटी युक्त उपलब्ध करवाए जाने संबंधी प्रावधान किए गए है । इस योजना को ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया मुख्य रूप से ऐसे ग्रामीण जिन्हें अकुशल श्रमिक भी कहा जाता है अथवा ऐसे परिवारों के लोग जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने हेतु मजबूर हैं ।

अध्ययन उद्देश्य

मनरेगा की पृष्ठभूमि का व्याख्यात्मक विश्लेषण करना।

मनरेगा का ग्रामीण मजदूरों के जीवन पर प्रभाव का मूल्यांकन करना।

व्याख्यात्मक विश्लेषण

मनरेगा की पृष्ठभूमि

वैज्ञानिक श्री स्वामीनाथन ने भारत में तीव्रता से बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या के समाधान को रेखांकित करते हुए कहा है कि, " आज नौकरियों के लिए असमी और बिहारी लड़ रहे हैं और वह समय दूर नहीं है जब नौकरियों के लिए लड़ाई पूरे भारत में छिड़ जाएगी । उन्होंने देश के नीति निर्धारकों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि देश के निर्धन गरीबों को नौकरी नहीं मिली तो नौकरियों के लिए क्षेत्रीय टकराव आम होंगे। अतः इस भावी भयावह बेरोजगारी की समस्या से निपटने की दिशा में केंद्रीय मंत्री मंडल द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक 2005 को मंजूरी दी गई। जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की समस्या से निपटने की दिशा में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी बिल को पारित कर रोजगार की गारंटी को सुनिश्चित किया। भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की अधिसूचना 7 सितंबर 2005 को जारी की गई थी तत्पश्चात इस योजना को 2 फरवरी 2006 में पहले चरण में भारत के 200 जिलों में अधिसूचित किया गया था इसके पश्चात वित्त वर्ष 2007-08 में इसका विस्तार क्षेत्र बढ़ाकर इसमें 113 जिले अतिरिक्त जोड़ दिए गए। बाद में बाकी बचे हुए ग्रामीण जिलों को भी 1 अप्रैल 2008 को जारी अधिसूचना के पश्चात इसके अंतर्गत जोड़ दिया गया इस प्रकार मनरेगा संपूर्ण देश में एक सफल ग्रामीण परिवेश की योजना के रूप में विस्तृत हुई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवेश में ऐसे परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाना है जो अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते हैं। मनरेगा मानव इतिहास में सबसे सफल तथा सबसे व्यापक स्तर पर रोजगार उपलब्ध करवाने वाली एकमात्र योजना है।

इस अधिनियम के महत्व को विस्तृत रूप देते हुए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का कहना है कि, " रोजगार गारंटी बिल सिर्फ भारत के लिए ही ऐतिहासिक नहीं बल्कि यह पूरे विश्व के लिए एक अनूठा बिल है । यह बिल सिद्ध करता है कि रोजगार पाना लोगों का अधिकार है।" इसका मुख्य प्रावधान एक वित्तीय वर्ष में एक मजदूर को कम से कम 100 दिन का रोजगार गारंटी युक्त उपलब्ध करवाना है। इस प्रकार मनरेगा ने ग्रामीण परिवेश में सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराकर सामाजिक सुरक्षा को भी सुनिश्चित करने का काम किया है।

मनरेगा के तहत संचालित कार्यक्रम

भूमि सुधार, सिंचाई संवृधि, जल संचयन व जल संवर्धन, वनीकरण, रेशम परियोजना, मत्स्य पालन परियोजना, जीवन शक्ति औषधीय परियोजना.

ग्रामीण मजदूरों के जीवन पर मनरेगा का प्रभाव

National council of applied economics research की रिपोर्ट के अनुसार गरीब व सामाजिक रुप से कमजोर वर्गों जैसे मजदूर, आदिवासी, दलित एवं छोटे सीमांत कृषकों के बीच गरीबी कम करने में मनरेगा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

मनरेगा ने आजीविका के अवसरों के सृजन के माध्यम से अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आंकड़ों को आधार मानें तो वर्ष 2013-14 में मनरेगा के तहत कार्यरत कार्मिकों की कुल संख्या 7.95 करोड़ थी जो वर्ष 2014-15 में घटकर 6.71 करोड़ रह गई परंतु इसके पश्चात के वर्षों में इस में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है जिसे निम्न तालिका द्वारा समझा जा सकता है।

तालिका 1: वर्ष वार मजदूरों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि

क्रम संख्या	वित्त वर्ष	मजदूरों की कुल संख्या
1	2015-16	7.21 करोड़
2	2016-17	7.65 करोड़
3	2017-18	7.75 करोड़

पलायन अथवा बंधुआ मजदूरी में कमी

महात्मा गांधी नरेगा योजना द्वारा काम की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले मजदूरों की एक बहुत बड़ी संख्या पर नियंत्रण स्थापित किया है। कई शोधों के आंकड़े बताते हैं कि नरेगा योजना के क्रियान्वयन से ग्रामीण अकुशल श्रमिकों को अपनी ही ग्राम पंचायत मैं रोजगार उपलब्ध करवाए जाने से अकुशल श्रमिकों का एक बहुत बड़ा वर्ग शहरों की ओर पलायन नहीं कर रहा है अर्थात महात्मा गांधी नरेगा का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव पलायन को नियंत्रित करने के रूप में देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों अथवा शहरी क्षेत्रों में बंधुआ मजदूरी के आंकड़ों में भी गिरावट देखी गई है जिसके तहत मनरेगा की सुचारू क्रियान्वयन में मजदूरों को गारंटी युक्त रोजगार का मिल जाना है।

रोजगार के अवसरों का उत्पन्न होना

मनरेगा अपने आप में रोजगार उपलब्ध करवाने वाली विश्व की सबसे विस्तृत योजना है जिसके अंतर्गत ग्रामीण विकास को समावेशी विकास के समतुल्य मानते हुए *117.54 %* गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाए गए।

मजदूरों को बीमा कवरेज

मनरेगा के तहत काम करने वाले कार्मिकों को भारतीय जीवन

बीमा योजना की जीवन श्री योजना के तहत पात्र माना जाएगा। इसके अतिरिक्त इसी श्रेणी के तहत स्वास्थ्य बीमा द्वारा स्वास्थ्य लाभ उपलब्ध करवाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

विकलांगों की सहभागिता

महात्मा गांधी नरेगा संवेदनशील वर्गों को भी रोजगार के संसाधन उपलब्ध करवाने में सर्वोपरि योजना है यह ऐसे समय में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाती है जब बाकी के संसाधन कम पड़ जाते हैं। यद्यपि मनरेगा के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों के लिए कोई प्रावधान नहीं है परंतु वर्ष 2009-10 के दौरान 1,84,241 अपंग लोगों को रोजगार मुहैया कराया गया है।

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के परिवारों को रोजगार

अनुसूचित जाति तथा जनजाति के परिवारों की रोजगार में 62 फीसदी भागीदारी रही है। इसके अतिरिक्त समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक रोजगार उपलब्ध करवाने के भरसक प्रयत्न किए गए हैं ताकि उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।

कच्चे मकानों का पक्के मकानों में रूपांतरण

मनरेगा लागू होने के पश्चात कच्चे मकानों की संख्या में 80 फ़ीसदी तक कमी देखी गई है जो कि ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

ग्रामीण स्वास्थ्य

मनरेगा की योजना कल के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाओं का तीव्रता से प्रसार हुआ है।

जिसको निम्न आंकड़ों द्वारा भी समझा जा सकता है वर्ष 1951 में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की कुल संख्या 751 थी इनकी संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई और मार्च 2003 में यह संख्या 163195 हो गई।

बेरोजगारी भत्ता

मनरेगा के प्रावधानों के अनुसार यदि काम की मांग के पंजीकरण के पश्चात 15 कार्य दिवसों में यदि रोजगार उपलब्ध नहीं करवाया जाता है तब ऐसी स्थिति में कार्मिकों को दैनिक बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है। बेरोजगारी भत्ते का भुगतान नरेगा सॉफ्ट प्रणाली द्वारा किया जाता है।

बैंक खातों में मजदूरी का लाभ

महात्मा गांधी नरेगा के कार्मिकों की सुविधा अनुसार बैंकों अथवा डाकघर में खाते खुलवाए जाते हैं। जिनमें नरेगा कार्मिक मजदूरी को जमा करवा सकते हैं।

महिला सशक्तिकरण

इस योजना के मुख्य प्रावधानों में महिलाओं को पुरुष मजदूरों की भांति ही समान कार्य के अवसर, सम्मानजनक कार्य दशाएं तथा एक समान मजदूरी का भुगतान उपलब्ध कराए कराए जाने संबंधी महत्वपूर्ण उद्देश्य निहित है। वित्त वर्ष 2006-07 से वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान महिलाओं हेतु 96823 करोड़ श्रम दिवसों को आयोजित किया गया। पूर्व में किए गए कई अध्ययनों के आंकड़े तथा साक्ष्य प्रदर्शित करते हैं कि इस योजना का महिलाओं व बच्चों के आर्थिक कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन का विवेचनात्मक अध्ययन करने के पश्चात यह कहा जा सकता है कि मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के नए आयामों को स्थापित किया है इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास से संबंधित रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण तथा बेरोजगारी जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव की दिशा में ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करा कर उन्हें आर्थिक तथा सामाजिक स्तर पर मजबूत करने का कार्य किया है। हालांकि इस योजना की कुछ विसंगतियां विसंगतियां भी वर्तमान समय में देखने को मिली है जिन्हें समय रहते दूर किया जाना अति आवश्यक है ताकि अपने अपने लक्ष्य उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। महात्मा गांधी नरेगा योजना ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं जो सराहनीय हैं।

संदर्भ सूची

1. चौथा संस्करण 2013, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार
2. रिपोर्ट टू दी पीपल 2012, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार
3. शिव कुमार, रोजगार सृजन में महात्मा गांधी नरेगा की भूमिका, International Research Journal of Commerce Arts And Science 5(1)
4. वार्षिक रिपोर्ट 2009-10, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार